फार्म सी0 एल0 1

(जिले में देशी शराब देने के थोक ठेके का अनुज्ञा–पत्र)

सर्वश्री.. को जिन्हें, इसके अन्तर्गत थोक ठेकेदार कहा गया है, यू0 पी0 एक्साईज एक्ट, 1910 (1910 का चौथा एक्ट) के अर्न्तत जिलों में स्थित ऐसे बंधित आबकारी गोदामों तथा थोक भण्डारों (डिपो) पर विक्रय के लिए जिनको की समय–समय पर स्वीकृति दी जाए, थोक रूप से सादी व मसालेदार देशी शराब देने का एक अप्रैल 1989 से 31 मार्च 1980 तक एक वर्ष के लिए एकाधिकार प्रदान किया जाता है। स्वीकृति बंधित आबकारी गोदाम तथा थोक गोदामों का वर्तमान सूची परिशिष्ठ में वर्णित है, परन्तु सरकार को यह अधिकार है कि वह अपने निर्णय के अनुसार ठेके के क्षेत्र या उनके किसी भाग में देशी शराब की दुकानों की संख्या घटा दे, देशी शराब की निकासी उनकी बिक्री या उनका रखना ठेके के क्षेत्र या उसके किसी भाग में सीमित कर दें अथवा बिल्कुल निषिद्ध कर दे। यदि किसी कार्य प्रचार से जो मद्य निषेद करने के प्रयोजन से किया हो, ठेकेदार को उसके व्यवसाय में कोई क्षति पहूँचे तो सरकार उसकी पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी न होगी।

2. उपरोक्त बंधित आबकारी गोदामों और थोक भण्डारों से केवल उसी तीव्रता की शराब की निकासी दी जाएगी जो आबकारी आयुक्त समय–समय पर नियत करें और ऐसे मूल्यों पर जो तीव्रता के अनुसार परिशिष्ठ में दिये मूल्य के अनुपात में हो तथा प्रतिबन्ध यह है कि सरकार को यह अधिकार है कि यदि परिस्थितियों के कारण मूल्यों को बढ़ाना आवश्यक हो तो वह इन दरों को बढ़ा दें।

3. जो शराब दी जाएगी वह अच्छे प्रकार की होगी। यदि किसी पेटेन्ट निष्कर्ष की आसवनी (डिस्टिलरी) में चुआई जायेगी तो वह 50 डिग्री आवर प्रूफ (85 प्रतिशत वि0/वि0) से अधिक तीव्रता की न चुआई जाएगी। उसका समय–समय पर विशलेषण किया जाएगा और ठेकेदार बाध्य होगा कि वह इन दोषों को दूर करें, जो आबकारी आयुक्त आवश्यक समझे। यदि शराब घटिया प्रकार की पायी जाएगी तो वह आबकारी आयुक्त के आज्ञानुसार अस्वीकृत या नष्ट की जा सकती है या इस सम्बन्ध में और कोई कार्यवाही की जा सकती है। निष्कर्षियों या बंधित आबकारी गोदामों के पदाधिकारियों को यह अधिकार है कि वह आबकारी आयुक्त की आज्ञा की अपेक्षा करते हुए किसी भी शराब, जिसको वे अनुपयुक्त और खराब समझे, की निकासी रोक सकते हैं। उन्हें आज्ञा है कि वे ऐसी शराब के नमूने अविलम्ब विशलेषण के लिए भेंजे।

4. शराब के अनुज्ञापित फुटकर विक्रेताओं को यह अधिकार है कि थोक ठेकेदारों से उस शराब की मॉग करें, जो उन वस्तुओं से चुआई गयी हो जिसका परिशिष्ट में उल्लेख है, इसके अतिरिक्त थोक ठेकेदार उनको ऐसी शराब दे सकता है जो दूसरे स्वीकृत पदार्थों के लहन से चुआई गयी हो।

5. ऐसे समस्त उपकरण यंत्र और वस्तुओं जो शराब भेजने, गोदाम में शराब रखने अथवा शराब के लिए देने, माप, तौल, आवागमन और निकासी करने के उपयोग में आते हों और जिनमें शराब रखने की लकड़ी या लोहे की टंकिया, पीपा, ताले, आवागमन के पैमाने, तौलने की मशीन आदि सम्मिलित है, थोक ठेकेदार को देना होगा।

5(क). शराब निकासी के पूर्व छानी जाएगी और थोक ठेकेदार को प्रत्येक गोदाम में जो उसके ठेके के क्षेत्र में ही शराब छानने के लिए उप/सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रबन्ध करना होगा।

5(ख). ठेकेदार गोदाम में संचित शराब की समुचित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी है। उसे गोदाम में स्वतन्त्र रूप से अथवा भांग के थोक ठेकेदार के साथ में 3:1 (तीनःएक) के अनुपात में वेतन देकर चौकीदार रखना होगा। दोनों ही दशा में यह क्षतिपूर्ति के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा।

6. प्रत्येक बंधित आबकारी गोदाम और थोक भण्डार में जहॉ पर की शराब की बोतलों में भरायी करने की आज्ञा है प्रत्येक प्रकार की शराब की आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम मात्रा एवं बोतलों, कैपसूल और लेबलों को भी निर्धारित न्यूनतम मात्रा में रखना थोक ठेकेदार के लिए आवश्यक होगा।

जब कभी किसी बंधित आबकारी गोदाम में शराब या अन्य वस्तुओं की संचित मात्रा निर्धारित न्यूनतम मात्रा से कम हो जाए और थोक ठेकेदार उसकी पूर्ति करने में असमर्थ हो तो जिलाधीश शराब को किसी अन्य स्थान में मॉग सकते हैं और इस प्रकार मंगायी गयी शराब का मूल्य थोक ठेकेदार से अधोलिखित प्रतिबन्ध 10 के अनुसार वसूल किया जाएगा।

7.(1) थोक ठेकेदार 750 मि0 ली0, 375 मि0 ली0 और 180 मि0 ली0 माप की बोतलों में, जिनमें यथाविधि पिल्फर प्रूफ कैप्सूल्स या क्राउन कार्क, आलू कैप्सूल जो आइ0 एस0 आई0 मानक के अनुरूप हों, व आवश्यकतानुसार प्लास्टिक कैंप और लेबिल आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर निर्देशित विधि से लगे हुए हों, ठेके की अवधि में मॉग पत्र में दी गयी दरों तथा बोतलों की लागत मूल्य पर अपने ठेके के उन सभी क्षेत्रों में जहॉ मुहर बन्द बोतलों की प्रथा लागू है तथा आबकारी आयुक्त के आदेशानुसार इस ढंग के ठेके की अवधि में जिन अन्य क्षेत्रों में उनके उपरान्त यह प्रथा लागू कर दी जाए, शराब देने को बाध्य होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मसालेदार शराब के ठेके के क्षेत्र की देशी शराब को फुटकर बिक्री की दूकान की निकासी के लिए मुहर बन्द बोतलों में ही दी जाएगी।

(2) शराब की बोतलों की भराई निष्कर्षिकी में या ऐसे बंधित आबकारी गोदाम में, जिसको आबकारी आयुक्त निर्धारित करे होगी और ठेकेदार बाध्य होगा कि वह इस कार्य के लिए उपयुक्त मशीनें और बोतलों की सफाई और भराई के लिए आवश्यक श्रमिक दें।

(3) ठेकेदार बाध्य होगा कि उन सब आदेशों का पालन करें जों आबकारी आयुक्त समय–समय शराब की बोतलों में स्वच्छता के साथ ओर उचित ढंग से भरने के लिए दे।

(4) शराब की बोतलों में भरने का सारा काम निष्कर्षियों या बंधित आबकारी गोदाम के आबकारी निरीक्षक की उपस्थिति में और उसके ही समक्ष होगा, परन्तु जब आबकारी निरीक्षक की उपस्थिति कही अन्यत्र और आवश्यक कार्यवश अनिवार्य हो तो बोतलों की भराई का कार्य बंधति आबकारी गोदाम या निष्कर्षियों के लिपिक के देखरेख में होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि भराई के लिए दी गयी शराब को आबकारी निरीक्षक ने माप कर दे दिया हो और उसकी तीव्रता भी देख ली हो

(5) बोतल और बोतलों की भराई की लागत की दर नीचे दी है। शराब के फुटकर अनुज्ञापी विक्रेता को शराब लेते समय शराब की निकासी के मूल्य के अतिरिक्त इसे भी देना होगा परन्तु वह यदि उसे बिना टूटे फूटे लौटा दे तो थोक ठेकेदार से बोतल का मूल्य वापिस ले सकता है :–

बोतलों की माप	बोतल का दाम / मय कैप्सूल एवं लेबिल	खाली बोतलों के वापसी की दर
1	2	3
बोतल (750 मि0 ली0) अद्धा (375 मि0 ली0) पौवा (180 मि0 ली0)	वर्ष 1989 – 90 के लिए निर्धारित दरों के अनुसार।	

8. ठेके की समाप्ति पर यदि ठेका अगले वर्ष के लिए पुराने ठेकेदार को मिला हो, तो ठेके के क्षेत्र के बंधित आबकारी गोदाम या थोक भण्डार में देशी शराब की संचित निर्धारित न्यूनतम मात्र तथा थोक ठेकेदार अपने ठेके की दर से लेगा और शराब मिलने के एक माह के भीतर पुराने थोक ठेकेदार को उसका मूल्य चुकता कर देगा। यदि आबकारी आयुक्त आज्ञा दे तो पुराना थोक ठेकेदार अपने ठेके क्षेत्र को दो मास की निकासी के बराबर शराब नयी दर पर नये ठेकेदार को देगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी आज्ञा के लिए कम से कम चार मास पूर्ण पुराने थोक ठेकेदार को सूचना दी जाएगी।

9. अनुज्ञापित फुटकर देशी शराब के विक्रेताओं को यह अधिकार होगा कि वे यथाशीघ्र यथोचित मात्रा में आवश्यकतानुसार निर्धारित तीव्रता की शराब की निकासी इस प्रमाण के देने पर कि उन्होंने निर्धारित निर्गम मूल्य खजाने में जमा निर्गत आदेश प्राप्त कर लिया है, ले सकता है।

देशी शराब की दुकानों या सरकारी प्रबन्ध (स्टेट मैनेजमेंट के अन्तर्गत) हो तो निकासी आवश्यक फार्म में जिला आबकारी अधिकारी या उनके द्वारा अधीकृत आबकारी निरीक्षक द्वारा किये गये अनुमति पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी।

10. यदि शराब उस अवधि के अन्दर जिसे कि जिलाधीश उचित समझे उपरोक्त प्रतिबन्ध–9 के अनुसार न प्रस्तुत की जाएगी तो आबकारी आयुक्त की आज्ञानुसार जितनी मात्र थोक ठेकेदार प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो, उस पर रू0 17.50 प्रति लीटर अल्कोहल के हिसाब से धनराशि थोक ठेकेदार से दण्ड स्वरूप वसूल कर सकते हैं। शराब की लागत मूल्य, उस पर आरोपित आर्थिक दण्ड तथा ऐसे कार्य से हुयी सरकार को हानि थोक ठेकेदार को मिलने वाले धन उनकी जमानत अथवा उपरोक्त प्रतिबन्ध (दो) के अनुसार उनको दी जाने वाली कीमत से काट ली जाएगी, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि आबकारी आयुक्त को सन्तोषप्रद कारण देकर यह प्रमाणित कर दिया जाए कि थोक ठेकेदार शराब इन कारणों से नहीं दे सका कि –

(क) उसके कारखानों को ऐसे कारणों से क्षति पहूँची, जिन पर उसका वश नहीं था या,

(ख) हड़ताल, महामारी, दंगा या जनसमुह उदण्डता या किसी ऐसे अनिवार्य स्थिति या,

(ग) रेल के अधिकारियों द्वारा आवश्यक कच्चा माल पहूँचाने और उसके कारखाने से तैयार माल ले जाने के लिए उसको पर्याप्त मात्रा में मालगाड़ी के डिब्बे देने में असफलता और यदि उक्त कारणों की सूची तत्काल आबकारी आयुक्त और जिलाधीश को दे दी गयी हो, 17.50 रू0 प्रति लीटर अल्कोहल के हिसाब से अर्थ दण्ड ठेकेदार से वसूल न किया जाएगा।

11. ठेकेदार को इस बात की स्वतंत्रता होगी की वह आबकारी गोदामों और थोक भण्डार में प्रथम अप्रैल 1989 के पहले से शराब का संचय करना आरम्भ कर दे परन्तु इस तिथि के पहले इस प्रकार रखी गयी कोई शराब न तो बेची जाएगी या उसको कर्मचारियों के अधिकार से बाहर जाने दी जाएगी जब तक आबकारी आयुक्त अन्यथा अनुमति न दे दे।

12. शराब का समस्त संचय लकड़ी व लोहे की टंकियों और मुहर बन्द बोतलों में रखा जाएगा, जब तक आबकारी आयुक्त इसके विपरीत आदेश न दे दे।

13. सरकार को पूरा अधिकार होगा की वह समय – समय पर तिथि आबकारी गोदाम से निकासी दी जाने वाली शराब पर अभिकर की दर निश्चित करें। अभिकर की दर में परिवर्तन ठेके की अवधि में किसी भी समय हो सकता है। किसी भी बंधित आबकारी गोदाम या थोक भण्डार से देशी शराब की निकासी उस दशा में

अतिरिक्त न की जाएगी, जब तक कि जिला आबकारी अधिकारी से निर्गम आदेश निर्धारित प्रपत्र में न प्राप्त हो जाये। यदि दूकानें सरकार प्रबन्ध (स्टेट मैनेजमेंट) में हो, तो देशी शराब की निकासी आवश्यक फार्म में जिला आबकारी अधिकारी या उसकी ओर से अधिकृत किसी आबकारी निरीक्षक द्वारा दिये गये अनुमति पत्र के प्रस्तुत करने पर दी जा सकती है।

14. थोक ठेकेदार आबकारी प्रबन्ध सम्बन्धी ऐसे सभी स्वीकृत नियमों के पालन करने को बाध्य होगा कि जो उस पर लागू होते हों।

15. प्रत्येक मास के हिसाब तथा सम्भव आगामी मास में पन्द्रहवें दिन तक ठीक कर दिये जाएंगे।

16. थोक ठेकेदार के लिए अपने क्षेत्र में शराब, ताड़ी फूटकर बिक्री की दुकानों में किसी प्रकार का भी साझा या स्वार्थ रखना वर्जित है जब तक कि आबकारी आयुक्त विशेष आज्ञा द्वारा उसे इस प्रतिबन्ध से मुक्त न कर दें।

17. ऐसे सब मामलों में जिनके लिए यहॉ प्रत्यक्ष रूप से व्यवस्था नहीं की गयी है ठेकेदार को आबकारी आयुक्त का निर्णय मानना होगा। आबकारी आयुक्त के निर्णय के विरूद्ध अपील की जा सकती है।

18. थोक ठेकेदार को ठेके के नियमों के यथोचित अनुपालन के लिए जमानत के रूप में आबकारी आयुक्त के पास प्रत्येक प्रतिस्पर्द्धा वाले क्षेत्र के लिए रू0 5000.00 जमा करना होगा। प्रतिस्पर्द्धा जिलों के लिए अधिक से अधिक धनराशि रू0 5000.00 होगी। यह धनराशि सरकारी प्रामिजरी नोटों में जिनका बाजार भाव उक्त धनराशि के बराबर हो या किसी अन्य रूप में जिसको आबकारी आयुक्त स्वीकृती दे, जमा की जाएगी।?

19. यदि थोक ठेकेदार या कोई व्यक्ति जो उसका कर्मचारी हो, अनुज्ञा पत्र का कोई प्रतिबन्ध तोड़ेगा तो आबकारी आयुक्त अपने निर्णय के अनुसार उसको (क) रू0 5000.00 तक अर्थ दण्ड दे सकता है या (ख) राज्य सरकार की स्वीकृती लेकर उसकी जमा की हुयी रकम जब्त कर सकता है और उसका अनुज्ञा पत्र खण्डित कर सकते हैं तथा थोक ठेकेदार के दायित्व पर उसका विशेषाधिकार दूसरे को दे सकते हैं।

20. बंधित आबकारी गोदाम और थोक भण्डार की इमारतें जिससे अनुज्ञा पत्र के अधीन शराब बेचने की अनुमति दे दी गयी है, सरकार देगी और उसका प्रबन्ध करेगी और उनमें ठेकेदार बिना कोई किराया दिये शराब तथा अन्य सामान रखेगा। थोक ठेकेदार को इमारतों के सारे नगर पालिका को कर देने होंगे।

21. देशी शराब के इस ठेके के अन्त हो जाने पर, जिसके सम्बन्ध में यह अनुज्ञा पत्र दिया गया है, थोक ठेकेदार को यह अधिकार होगा कि वह यह इस बात की मॉग करे कि समस्त स्वीकृत यन्त्रादि जो बंधित आबकारी गोदाम तथा थोक भण्डार में देशी तथा मसालेदार शराबों के लिए प्रयोग में लाये गये हों, उनसे नया थोक ठेकेदार ऐसे मूल्य पर ले लेगाा जो आपस में तय होगा या जिसकी आबकारी आयुक्त ने आज्ञा दी हो, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि –

(1) यदि थोक ठेकेदार इस नियम से लाभ उठाना चाहता है तो वह अपने इस विचार की सूचना ठेका पूरा होने के एक माह पूर्व देगा।

(2) इस नियम के अन्तर्गत किया गया कोई दावा केवल ऐसे यन्त्रादि के सम्बन्ध में किया जा सकेगा, जो आवश्यक रहा हो और इस ठेके के अधीन देशी और मसालेदार शराब के लिए निरन्तर काम में लाया गया हो।

22. इस प्रकार नया थोक ठेकेदार भी बाध्य होगा कि वह उपरोक्त वस्तुओं को उपरोक्त प्रतिबन्धों के अन्तर्गत पुराने थोक ठेकेदार से मोल ले यदि वह ऐसे मूल्य को जो या तो आपसी समझौते द्वारा तय हुआ हो या आबकारी आयुक्त ने नियम किया हो, नही चुकाता तो उसका ठेका तोड़ा जा सकेगा और आबकारी आयुक्त ऐसे किसी रकम में से जो नये थोक ठेकेदार के हिसाब में उत्तर पदेश की किसी सरकारी खजाने में जमा हो पुराने थोक ठेकेदार को उसका मूल्य दे सकते हैं।

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश

परिशिष्ठ

जिला	बंधित आबकारी गोदाम	थोक भण्डार	थोक ठेकेदार निम्नलिखित आधार पर बनायी हुयी शराब की पूर्ति करने पर बाध्य होगा	प्रति लीटर मूल्य स्वीकृत हुआ
1	2	3	4	5

संविदा की प्रतिलिपि

मै .... उपरिकथित थोक ठेकेदार अपने लिए अपने उत्तराधिकारियों कानूनी प्रतिनिधियों और स्वस्तग्रहीत की ओर से इसमें उक्त सभी नियमों तथा धाराओं को अंगीकार करता हूँ।

दिनांक :–

हस्ताक्षर